न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर, झाँसी।

परिवाद संख्या- ३३९/ २०२१,

राकेश कुमार साहू बनाम हल्केराम

धारा- १३८ एन०आई० एक्ट

थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी

CNR No. - UPJS160005422021

दिनांक- १८. ०१. २०२२

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते बहस तलबी नियत है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना और पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी की ओर से धारा- २०० द०प्र०सं० में स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रश्नगत चैक संख्या- ३८९२७२, मु०- ३६,०००(छत्तीस हजार) / - रुपये, दिनांकित- ०८. ०१. २०२१, अपर्याप्त धनराशि होने रोकने के कारण अनादृत हुआ है। नोटिस प्रथम दृष्टया तामील है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर **विपक्षी हल्केराम** को धारा- १३८ एन०आई० एक्ट में तलब करने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

विपक्षी हल्केराम को अन्तर्गत धारा- १३८ एन०आई० एक्ट में विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। उभय प्रकार से पैरवी की जाए। चैक में वर्णित धनराशि मु०- ३६,०००(छत्तीस हजार) / - रुपये है। प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मै० मोटर्स एण्ड इन्सट्रूमेन्ट प्रा०लि० व अन्य बनाम कंचन मेहता** में दिए निर्देशों एवं **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी०एल० नं० 9959/ एडमिन जी 2 दिनांकित 13. 07. 2018** के अनुक्रम में सम्मन में चैक की धनराशि मु०- ३६,०००(छत्तीस हजार) / - रुपये अंकित करते हुए प्रेषित हो, यदि अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे सकता है। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक- ३०. ०३. २०२२ को पेश हो।

(नूपुर श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर।
झाँसी।

J. O. Code No. UP2503

Digitally signed by Noopur Srivastava
Date: 2022.01.18 05:11:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court